छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक : एफ 5–15/2019/18 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/08/2019

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर्स,**
छत्तीसगढ़।

2. **समस्त आयुक्त,**
नगर पालिक निगम,
छत्तीसगढ़।

3. **समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,**
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत,
छत्तीसगढ़।

विषयः– **प्रदेश के नगरीय निकायों में नवीन राज्य प्रवर्तित "पौनी पसारी" योजना के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।**

—00—

विषयांतर्गत समस्त नगरीय निकायों में **पौनी पसारी योजना** हेतु दिशा–निर्देश एवं मानक प्राक्कलन एवं ड्राइंग की प्रति संलग्न है, जो विभाग की वेबसाईट http://uad.cg.gov.in/ पर उपलबध है। कृपया दिशा–निर्देश अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(आर. एक्का)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ. क्र. : एफ 5–15/2019/18 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/08/2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, छ.ग. शासन, न.प्र. एवं वि.वि. मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर ।
2. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, न.प्र. एवं वि.वि. मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर ।
3. संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, नवा रायपुर अटल नगर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नवा रायपुर अटल नगर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
6. समस्त संयुक्त संचालक, न.प्र. एवं वि., क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़।
7. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

Letter 2018

665

175

पौनी पसारी योजना

:: दिशा–निर्देश ::

1.0 **उद्देश्य :–**

साप्ताहिक बाजार एवं पौनी–पसारी स्थानीय छत्तीसगढ़ी संस्कृति का अभिन्न अंग है। साप्ताहिक बाजारों के माध्यम से जहां एक ओर स्थानीय जनता अपने जीवन–यापन के लिए आवश्यक सामान की खरीदी करते थे, वहीं पौनी–पसारी के माध्यम से स्थानीय जन समुदाय की आवश्यकताओं तथा सेवाओं की पूर्ति भी सुनिश्चित की जाती थी, जिसमें स्थानीय परंपरागत व्यवसायों जैसे – लोहे से संबंधित कार्यो, मिट्टी के बर्तन, कपड़े धुलाई, जूते चप्पल तैयार करना, लकडी से संबंधित कार्य, पशुओं के लिए चारा, सब्जी–भाजी उत्पादन, कपडों की बुनाई, सिलाई, कंबल, मूर्तिया बनाना, फूलों का व्यवसाय, पूजन सामग्री, बांस का टोकना, सूपा, केशकर्तन, दोना–पत्तल, चटाई तैयार करना तथा आभूषण एवं सौंदर्य सामग्री इत्यादि का व्यवसाय **"पौनी–पसारी"** व्यवसाय के रूप में जाना जाता रहा है, जिसमें परिवार के मुखिया के साथ–साथ अन्य सदस्यों को भी रोजगार प्राप्त होता था।

बढ़ते हुए शहरीकरण तथा मशीनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण, पौनी–पसारी से संबंधित अधिकांश व्यवसाय शहरों में लुप्त होते जा रहे है। परंपरागत व्यवसायों तथा छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं को जीवन्त करने एवं इससे स्थानीय समाज तथा बेरोजगारों के लिए व्यवसाय के अवसरों का सृजन करने के लिए, **मान. मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन की प्रेरणा से राज्य प्रवर्तित पौनी–पसारी योजना**, नवीन परिवेश में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रारंभ की जा रही है। यह योजना सभी 168 नगरीय निकायों में लागू होगी।

इस योजना में असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं स्व–सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन उपरान्त सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु किफायती दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपरा के अंतर्गत **"पौनी–पसारी"** व्यवसाय को नवजीवन प्रदान करने में सहायक होगी।

2.0 **प्रस्तावित व्यवसाय :–**

2.1 योजना हेतु स्थल का चयन शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों यथा बस स्टैण्ड, हॉट बाजार आदि के समीप किया जाना होगा।

2.2 योजना के अंतर्गत निम्न व्यवसाय हितग्राहियों द्वारा स्थापित किए जावेंगे– सेलून/पार्लर, मोची, धोबी/लाण्ड्री, दर्जी, मूर्तिकार, बढ़ई, पेंटर, चाय–पकौड़ा स्टॉल, आभूषण एवं सौंदर्य सामग्री (मणिहारी), दूध एवं दूध से निर्मित उत्पाद, डेली नीड्स/किराना एवं स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद, लोहार, कुम्हार, घसिया, मरार, केवट, गड़रिया, कोश्ठा, पटवा, दोना पत्तल, बांस का टोकना, सूपा, कंबल, चटाई, सब्जीभाजी, गोदना/टैटू, फूलमाली, पूजन सामग्री आदि।

3.0 **योजना का क्रियान्वयन :–**

3.1 योजना का क्रियान्वयन शहर के प्रमुख स्थलों को केन्द्र बिन्दु बनाकर किया जावेगा।

3.2 "**पौनी पसारी**" योजना के अंतर्गत मानक प्राक्कलन एवं ड्राईंग संलग्न है। पौनी पसारी हेतु चयनित स्थल के अनुसार मानक ड्राईंग में सम्यक संशोधन किया जा सकेगा।

3.3 प्रत्येक नगर पंचायत हेतु 01, नगर पालिका हेतु 02, नगर निगमों (रायपुर को छोड़कर) हेतु 04 एवं नगर निगम रायपुर हेतु 08 पौनी पसारी बाजार की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। प्रति बाजार निर्माण हेतु राशि रू30.00 लाख का अनुदान दिया जावेगा।

3.4 उपरोक्त बाजार शासकीय/निकाय की भूमि पर स्थापित किया जा सकेगा। नगरीय निकाय की मांग पर जिला कलेक्टर द्वारा निकाय को योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता अनुसार शासकीय भूमि एक रूपये प्रतिवर्गफुट के मान से उपलब्ध कराकर अग्रिम आधिपत्य सौंपा जाएगा।

3.5 पौनी पसारी यदि शहर से दूर किसी ऐसे स्थल पर बनाया जाएगा, जिससे योजना की उपयोगिता सिध्द नहीं होती हो, तो जिम्मेदारी का निर्धारण कर, निर्माण लागत की संपूर्ण राशि संबंधित अधिकारी से वसूल की जावेगी।

3.6 पौनी पसारी परिसर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करा जाना अनिवार्य होगा। साथ ही उर्जा दक्ष विद्युत उपकरण (एल.ई.डी. लाईट आदि) एवं शौचालय, वॉटर कूलर/वॉटर ए.टी.एम., डस्टबीन आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

4.0 वित्तीय व्यवस्था :–

4.1 पौनी पसारी निर्माण हेतु शतप्रतिशत अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जावेगा।

4.2 अनुदान प्राप्त करने हेतु निकाय को विधिवत परियोजना प्रस्ताव तैयार कर राज्य शहरी विकास अभिकरण को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना होगा।

4.3 अनुदान राशि निम्नानुसार दो किश्तों में विमुक्त की जावेगी–

- योजना स्वीकृति के समय पर 50%
- जारी प्रथम किश्त की 70% राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात्, अनुबंधित निविदा दर अनुसार शेष देय राशि द्वितीय किश्त के रूप में प्रदान की जावेगी।

4.4 पौनी पसारी परिसर का रख–रखाव संबंधित निकाय द्वारा किया जावेगा। इस हेतु निकाय चबूतरा आबंटिती से रू.10/– प्रति दिवस किराया वसूल करेगी। किराया वसूली निकाय द्वारा की जावेगी। ठेकेदार द्वारा किराए वसूली पर प्रतिषेध रहेगा।

4.5 योजनांतर्गत पृथक से बैंक खाता संधारित कर, नियमानुसार लेखा संधारण किया जावेगा।

16/8/2016

(आर. एक्का)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग